दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/ 05 दिनांक: 02.06.2021

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 78/2021

विषय:- Eligibility criteria for selection to the post of Chief Law Assistant in Level-7.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं.E(NG)I/2020/PM1/8 दिनांक: 05.04.2021, RBE No.26/2021 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	E(NG)I/2020/PM1/8 dt.15.01.2021, RBE No.05.2021	16/2021

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

02.6.21

(अशोक कुमार शर्मा)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

78/21

SECR

RB No. 26/2021

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I/2020/PM 1/8 New Delhi, dated April 5th, 2021

The General Managers,
All Zonal Railways.
(as per standard mailing list)

Sub: **Eligibility criteria for selection to the post of Chief Law Assistant in Level-7.**

(31) RBE 05/21 ER 16/21

Attention is invited to instructions contained in Board's letter of even number dated 15.01.2021 on the above subject laying down the eligibility criteria for selection to the post of Chief Law Assistant in Level-7 against the 60% promotion quota as under:-

> "The remaining 60% posts should be filled by promotion, on the basis of selection, from among serving employees in Level-2 to Level-6, having 5 years regular service and possessing a Degree in Law, irrespective of the Departments in which they may be working. The shortfall against promotion quota, if any, will be filled by Direct Recruitment."

2. In terms of instructions contained in Board's letter No. E(NG)I/2014/PM 1/19 dated 06.05.2016, RPF/RPSF personnel are not eligible to appear in any of the departmental selection on the Railways other than in RPF/RPSF.

3. In view of the above, the aforementioned provisions as contained in the Board's letter dated 15.01.2021 ibid, may be modified to read as under:

> "The remaining 60% posts should be filled by promotion, on the basis of selection, from among serving employees in Level-2 to Level-6, having 5 years regular service and possessing a Degree in Law, irrespective of the Departments in which they may be working except RPF and RPSF. The shortfall against promotion quota, if any, will be filled by Direct Recruitment."

4. Para 131(2)(iii) of Indian Railway Establishment Manual, Vol.I stands amended accordingly as per ACS No. 274 enclosed herewith.

Hindi version will follow. Please acknowledge receipt.

DA: ACS No. 274.

(D. Joseph)
Joint Director/Estt.(N)
Railway Board

SECR

⑧

आरबी सं. 26/2021

भारत सरकार/Government of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड/Railway Board

सं. ई (एनजी)I/2020/पीएम 1/8 नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल, 2021

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें।

(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय : मुख्य विधि सहायक के पद पर स्तर-7 में चयन के लिए पात्रता मानदंड ।

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 15.01.2021 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर आकृष्ट कराया जाता है, जिसमें 60% पदोन्नति कोटे के संबंध में स्तर-7 में मुख्य विधि सहायक के पद पर चयन के लिए निम्नानुसार पात्रता मानदंड दिए गए हैं :

"शेष 60% पद, स्तर-2 से स्तर-6 में उन सेवारत कर्मचारियों में से जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि में डिग्री प्राप्त की हो, चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिएं, चाहे वे किसी भी विभाग से हों। पदोन्नति कोटा में यदि कोई कमी आती है तो उसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा"।

2. बोर्ड के दिनांक 06.05.2016 के पत्र सं. ई(एनजी)I/2014/पीएम/1/19 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के संबंध में, रेसुबल/रेसुविबल कर्मी रेलों में रेसुबल/रेसुविबल के अतिरिक्त होने वाले किसी भी विभागीय चयन में भाग नहीं ले सकते।

3. उपरोक्त को देखते हुए, बोर्ड के दिनांक 15.01.2021 के उक्त पत्र में यथा-अनुबद्ध प्रावधानों को आशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"शेष 60% पद, स्तर-2 से स्तर-6 में उन सेवारत कर्मचरियों में से जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि में डिग्री प्राप्त की हो, चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिएं, चाहे वे रेसुबल और रेसुविबल के अतिरिक्त किसी भी विभाग में कार्यरत हों। पदोन्नति कोटा में यदि कोई कमी आती है तो उसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा"।

4. तदनुसार, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I के पैरा 131(2)(iii) को इसके साथ संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.२७५के अनुसार संशोधित किया जाता है।

कृपया पावती दें।

संलग्न : पर्ची सं. २७५

(डी.जोसेफ)

संयुक्त निदेशक/स्थापना(अराज.)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)I/2020/पीएम 1/8 नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. सभी सदस्य/विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद तथा सचिव/स्टाफ साइड, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त)।
6. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफए, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इंप्लॉयज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इंप्लॉयज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I

(1989 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. २७५

अध्याय-1, खंड-ख, उप खंड-III (भर्ती और प्रशिक्षण) – विधि सहायक की कोटि में पदों पर भर्ती को शासित करने वाले नियम ।

1. पैरा सं. 131 के मौजूदा उप-पैरा 2(iii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

"शेष 60% पद, स्तर-2 से स्तर-6 में उन सेवारत कर्मचरियों में से जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि में डिग्री प्राप्त की हो, चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिएं, चाहे वे रेसुबल और रेसुविबल के अतिरिक्त किसी भी विभाग में कार्यरत हों। पदोन्नति कोटा में यदि कोई कमी आती है तो उसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा ।"

[प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक5.04.2021 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2020/पीएम 1/8]